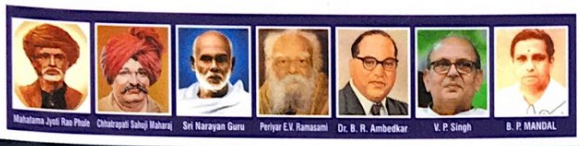

वॉइस ऑफ
ओबीसी

सहयोग राशि रु. 20/-

अन्य पिछड़े की समसामयिक पत्रिका
अंक 20 - मार्च 2017

20 मार्च 2017: एक अविस्मरणीय दिन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की भारतीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की समिति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा :
क्रिमी लेयर दायरा बढ़ाने की भी की गई मांग

NCBC एवं AIOBC पिछड़ा वर्ग महासंघ के अनवरत संघर्षों को मिली बड़ी सफलता

24 अगस्त 2016 को मुम्बई में एकत्रित सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संगठन की आमसभा आयोजित : नयी कार्यकारिणी का गठन

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की मुम्बई में सभी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 24 अगस्त 2016 को नयी कार्यकारिणी का गठन किया गया। नयी कार्यकारिणी की रिपोर्ट पृष्ठ 19 पर।

यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में पाँच दिवसीय धऊझ का आयोजन

संगठन द्वारा यह कार्यक्रम लखनऊ, पटना, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, केरल, भूनेश्वर, जयपुर, उदयपुर आदि प्रमुख केन्द्रों पर भी आयोजित किया गया।

उदघाटन करते GM श्री लाल सिंह

उदघाटन करते DGM श्री केएस यादव

उदघाटन करते DGM श्री योगेन्द्र सिंह

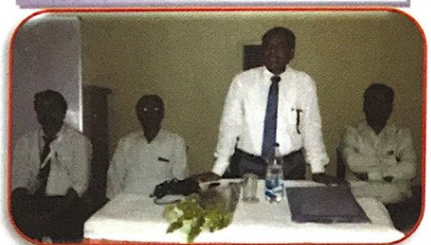

उदघाटन करते Dy. ZH श्री गौतम पाठक

प्रतिभागी कार्मिकगण

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की बैंक द्वारा आयोजित प्रोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग एवं अधिकारी संवर्ग में वरीष्ठ पदों के लिए प्रोन्नति से पूर्व यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा 5 दिवसीय ओरिएण्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन बैंक के निर्देशानुसार किया गया।

प्रतिभगियों को संबोधित करते क्षेत्र महाप्रबंधक श्री लाल सिंह

• डॉ. अमृतांशु

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका

अंक - 20, मार्च 2017

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

संरक्षक
प्रो. एस.एस. कुशवाहा
परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम
प्रकाशक
रानी अमृतांशु
संपादक
अशोक आनंद
9415224153
मानद संपादक
अमृतांशु
9918306777
मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुमार
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9415517017
प्रबंधक
अरविन्द कुमार
सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार,
विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार
कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार,
मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद
बृज लाल, पंकज कुमार, अशोक यादव
पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.co
कटरा सं. 77, पी.सी.एफ. प्लाजा
नदेसर, वाराणसी-221002
इस अंक सहयोग राशि : 20 रुपये
डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक
"Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की
वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।
प्रकाशित लेखों संदर्भों के पुर्नप्रकाशन
से पूर्व अनुमति ले।
समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्ति प्रदत्त

भारत सरकार ने दिनांक 20 मार्च 2017 को अन्य पिछड़े वर्गों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह एक बडा फैसला है। लगभग 15 वर्षो से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैंक वर्ड क्लासेज इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएसन्स ने NCBC Act 1993 में संवैधानिक संशोधन की मांग कर रहे थे। सरकार के इस आदेश से वर्तमान आयोग को समाप्त कर एक नए राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा जो विस्तृत शक्तियों से सम्पन्न होगा।

वस्तुतः वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्वरूप था, वह भारतीय समाज के अन्तर्गत जातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर के अध्ययन करने, उन्हें केन्द्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने अथवा सूची से बाहर करने संबंधित अपनी संस्तुति भारत सरकार को करने तक सीमित थी। इस आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वह पिछड़े वर्गों के कार्मिकों अथवा सामान्य नागरिकों अथवा पिछड़ें वर्ग से संबंधित सामाजिक संस्थाओं, संगठनों की शिकायतों को सुन सके। यह एक विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में असीम शक्तिया निहित है जिसमें शिकायतों को सुनने एवं दण्ड सुनाने की शक्तियां शामिल हैं किन्तु राष्ट्रीय आयोग को नहीं। वर्तमान फैसले से एक तरफ जहा नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शिकायतों को सुन सकेगा वहीं किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा कार्यपालक को संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु वह समनजारी कर सकेगा। जाहिर है भारत सरकार के आरक्षण संबंधी प्रावधानों की सही अनुपालना की जांच अब हो सकेगी एवं संबंधित दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कदम भी उठाए जा सकेगें।

किन्तु यह संशोधन सामान्य नहीं है। प्रस्तुत आदेश को लागू करने के लिए सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा बिल पारित करना होगा, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत विधान सभाओं की इसे स्वीकृति भी लेनी होगी। तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 338 में 338ब को जोड़कर संविधान को संशोधित किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 1990 एवं 2003 में संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338अ जोड़कर दो संविधान संशोधन किए गए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं। सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के पश्चात नया राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की तरह ही शक्ति सम्पन्न होगा।

भारत सरकार द्वारा यह फैसला ठीक उस वक्त लिया गया है जब भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव–17 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। निंसन्देह भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया कि इस ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का बड़ा साथ प्राप्त हुआ है। यह एक स्वागतेय कदम है। साथ ही भारत सरकार से यह आग्रह है कि मौजूदा क्रिमी लेयर को स्पष्ट एवं पुर्न परिभाषित करें ताकि सभी राज्यों में इसकी एक रूपता बन सके और प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी एवं भारत सरकार के डीओपीटी (डिपार्टमेंण्ट ऑफ पर्सनल एवं ट्रेनिंग) जैसी संस्थाएं इस संवेदनशील विषय पर पारदर्शी निर्णय ले सकें, और यह तभी सम्भव है जब क्रिमी लेयर संबंधी सरकार के निर्देश स्पष्ट हों। गौरतलब है कि मौजूदा प्रावधान में वेतन एवं कृषि से प्राप्त आय को क्रिमी लेयर की गणना में शामिल नहीं किए जाने का निर्देश है परन्तु सामान्य तौर पर अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है एवं वेतन को ही क्रिमी लेयर की सीलिंग मान लिया जाता है। अत एव हमारा आग्रह है कि भारत सरकार के OM – 36033/5/2004-Estt(Res) दिनांक 14.10.2004 का पुनराव लोकन एवं संशोधन की जाए। विदित हो कि अपने ताजा आदेश दिनांक 12.01.2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने उक्त ओएम के पारा संख्या 9 पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

GANESH SINGH
Member of Parliament (Lok Sabha)
Chairperson
Joint Committee on Land Acquisition
Committee on Welfare of Other Backward Classes

सत्यमेव जयते

134, Parliament House Annexe,
New Delhi-110 001
Telephone: 011-23034144
Telefax: 011-23794033
E-mail: sganesh@sansad.nic.in
loksabhasatna@gmail.com

दिनांक : 20 मार्च, 2017

माननीय प्रधान मंत्री महोदय,

मैं स्वयं अपनी ओर से और संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का जो आपका संकल्प है, उससे हम सभी सदस्यगण भली- भांति परिचित हैं और इसी कारण देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के मन में आपसे असीम आशाएं भी हैं। संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति भी समय- समय पर अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े मुद्दे भारत सरकार के समक्ष उठाती रही है। उनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिनपर सरकार से हमें सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है।

I. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना

संसदीय समिति ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में सरकार से इस बात की सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाय। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद **३३८** में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद **३३८ क** में स्थान दिया गया है। इसी तर्ज पर यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी एक नया अनुच्छेद **३३८ ख** संविधान में जोड़ दिया जाय तो सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सशक्त होगा।

II. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र को विस्तार देना

विदित हो कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिकार क्षेत्र अत्यंत सीमित है जिसमें मुख्य रूप से कुछ जातियों और समूहों को पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने अथवा उक्त सूची से हटाने की अनुशंसा करना शामिल है। पिछड़े वर्गों से सम्बंधित अन्य समस्याओं पर विचार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद ३३८ (१०) के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिया गया है। अब जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को दो दशक से अधिक बीत चुके हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर विचार का अधिकार अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। सरकार इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद ३३८ (१०) में उपयुक्त संशोधन की पहल कर सकती है।

...२/-

elhi Residence: 8, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110 001 • Tel: (011) 23312604 • Telefax: (011) 23323644
Res: Friends Colony, Near ITI, Satna, Madhya Pradesh-485 001 • Tel: (07672) 257999 • Fax: (07672) 257221

III. पिछड़े वर्गों के लिए बजट में अधिक धनराशि का प्रावधान करना

संसदीय समिति ने ऐसा पाया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में जो भी धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों सहित अन्य तबकों के लिए दी गई राशि का बटवारा करना होता है; फलस्वरूप अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए बहुत ही कम धनराशि मयस्सर हो पाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधियों से विचार- विमर्श के बाद समिति के सभी सदस्यों का यह सर्वसम्मत मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग बजट का आवंटन हो सके। विकल्पतः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग उप योजना बजट की व्यवस्था की जा सकती है।

आशा है कि आप उपर्युक्त बिंदुओं पर कृपापूर्वक विचार करेंगे और सम्बंधित विभागों को यथोचित आदेश सम्प्रेषित कर हमें कृतार्थ करेंगे।

आदर सहित,

भवदीय,

(गणेश सिंह)
सभापति
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति

मार्टिनलूथर किंग

दिसम्बर 10, 1964, ओसलो नार्वे

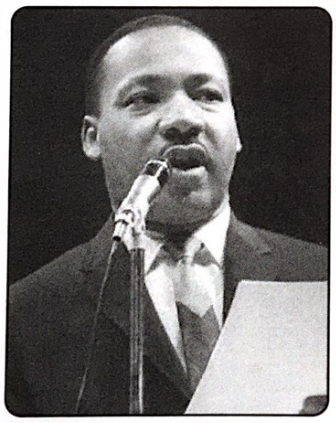

विश्वाशांति के लिये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् मार्टिनलूथर किंग ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ऐसे वक्त में इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा हूँ जब अमेरिका के 22 मिलियन नीग्रो रंगभेदी अन्याय को खत्म करने के लिए दिनरात संरचनात्मक युद्ध में लिप्त हैं। मैं इस पुरस्कार को सिविल राईट्स मुवमेंट के लिए प्राप्त करता हूँ जिसने न्यायवादी व्यवस्था और स्वतंत्रता का राज्य कायम करने में अहम् भूमिका निभाई।...

..... मैं अवश्य यह पूछना चाहता हूँ कि यह पुरस्कार एक ऐसे आन्दोलन को क्यों प्रदान किया जा रहा है जो एक कठिन आन्दोलन के प्रति समर्पित रहा, जिस आन्दोलन ने शांति और भाईचारा नहीं जीता, जो कि इस पुरस्कार का अन्तस रहा है।

मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करता हूँ क्योंकि मुझे अमेरिका में विश्वास है और मनुष्यत्व के अस्तित्व पर यकीन है।

.....यह विश्वास हमें सहारा दे सकता है ताकि हम भविष्य में अनिश्चितता का सामना कर सकें। यह विश्वास हमारे थके हुए भावों को नई ताकत देगा ताकि हम स्वतंत्रता के नगर की ओर निरन्तर आगे बढ़ सकें। यह जानते हुए कि हम एक सुन्दर सभ्यता के सृजन के संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। एक सुन्दर सभ्यता के जन्म के लिए किए जा रहे संरचनात्मक विद्रोह (Creative Turmoil) में जी रहे हैं।

- डॉ. हेमन्त कुशवाहा

प्रेस विज्ञप्ति

GANESH SINGH
MEMBER OF PARLIAMENT (LOK SABHA)
CHAIRMAN
Committee on the Welfare of
Other Backward Classes

सत्यमेव जयते

Office : 415, Parliament House Annexe,
New Delhi-110 001
Phone : 011-23034415, 23035197
Telefax : 011-23016807

Res. : 8, Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110 001
Phone : 011-23312604
Telefax : 011-23323644
E-mail : sganesh@sansad.nic.in
loksabhasatna@gmail.com

प्रकाशनार्थ

संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की समिति ने प्रधानमंत्री जी को सौपा ज्ञापन

नई दिल्ली

आज 20 मार्च को संसद की अन्य पिछड़े वर्गों की स्थायी समिति के 18 सांसदों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को समिति के चेयरमैन श्री गणेश सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में समिति ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये, तथा क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाया जाये एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह अत्यंत कम है। कुल बजट जो सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया जाता है उसमें से मात्र 21 प्रतिशत राशि दी जाती है उसे बढ़ाया जाये तथा वर्ष 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का प्रकाशन नही किया गया, तत्काल प्रकाशित किया जाये। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे पिछले यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे उनमें जिनके माता–पिता सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बीमा क्षेत्र में नौकरी करते थे उनके वेतन के साथ कृषि आय को भी जोड़ दिया गया था जिससे वे आईएएस बनने से वंचित रह गये। इसलिये इसकी समतृल्यता निर्धारित की जाये तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अलग मंत्रालय बनाया जाये।

सांसद श्री गणेश सिंह ने इन सभी बिन्दुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुये प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुये पिछड़े वर्गों के साथ न्याय किया जाये।

अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित सदस्य– श्री गणेश सिंह, डॉ. स्वामी साक्षी जी महराज, श्रीमती संतोष अहलावत, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़, श्री पी. करूणाकरन, श्री राजीव सातव, श्री रवीन्द्र कुशवाहा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नरेन्द्र बुदानिया, श्री रामनाथ ठाकुर, डॉ. विकास महात्मे, श्री रामनारायण डूडी, श्री हरिनारायण राजभर, श्री कंवर सिंह तंवर, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, श्री रोड़मल नागर, डॉ. बंशीलाल महतो, श्री राम मोहन नायडू, ज्ञापन सौपते समय उपस्थित थे।

"सादर"

भवदीय,

(गणेश सिंह)

Residence: Friends Colony, Near ITI, Satna, Madhya Pradesh-485 001
Phone: 07672-257999, Fax: 07672-257221

दैनिक जागरण
दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमा

नए सिरे से तय होंगे पिछड़े

राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का किया जाएगा गठन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की आवाज सुनने के लिए अब पहली बार संवैधानिक व्यवस्था होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 'राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दे दी है। नया आयोग पिछड़े वर्ग की अपने स्तर से पहचान भी करेगा, जिसे मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। नाम से लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी पिछड़े वर्ग में शामिल होने का आधार हो सकता है।

देश में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस सिलसिले में फैसला लिया गया। इसका नाम 'राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग' (एनएसईबीसी) होगा। साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। इसके लिए संसद में जल्दी ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ ही पहले से चल रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को समाप्त कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। वह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारित कानून के तहत मौजूदा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। विभिन्न वर्गों की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने की मांग पर भी विचार यही करेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा। पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने के लिए संसद की स्वीकृति लेने संबंधी अनुच्छेद 342ए जोड़ा जाएगा। आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी।

आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं : गहलोत

केंद्र सरकार ने कहा है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे 50 फीसद से ज्यादा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर कोई मानता है कि कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। मौजूदा आरक्षण सीमा 49.5 फीसद है।

इसलिए नया आयोग बनाने का फैसला

- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इसे ओबीसी की शिकायतें सुनने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
- कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला जाट आरक्षण की मांग के मद्देनजर किया है। जाट नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें पहली शर्त थी कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन हो, क्योंकि इस आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है।

क्या है मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में बना था।
- यह वैधानिक संस्था है। इसके तहत सरकार के स्तर पर फैसले होते हैं।
- आयोग का एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- यह कानून एक फरवरी, 1993 से जम्मू-कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
- इसका काम किसी वर्ग को पिछड़ों की सूची में शामिल किए जाने के अनुरोधों की जांच करना है।
- आयोग केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देता है, जो उसे उचित लगता है।
- यह किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने का अधिकार रखता है।
- आयोग किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने को भी कह सकता है।

दैनिक जागरण

पिछड़ा आयोग पर राज्यसभा में हंगामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अन्य पिछड़ा आयोग को खत्म करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। सपा सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आसन के समीप पहुंच गये। इसके चलते सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए बाधित रही। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया।

शुक्रवार को सदन की बैठक शुरू होते ही सपा नेता रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाना शुरू किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस आयोग की जगह राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनएसईबीसी) बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दलितों को मिल रहे आरक्षण के साथ एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि दलितों को आरक्षण से अलग किया जा सके। नया आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किये जाने वाले और सूची से हटाये जाने वाले अनुरोधों की जांच करेगा और आवश्यक सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि यादव, कुर्मी, लोध और कुशवाहा आदि पिछड़े समुदायों ने कुछ सामाजिक प्रगति की है। इसके बाद उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाया जा सकता है। बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने यादव की बात का समर्थन किया। लेकिन यादव के बयान को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया।

विरोध

- रामगोपाल का आरोप, दलितों को आरक्षण से अलग करने की साजिश
- सरकार ने आरोपों को खारिज किया कहा- मिलेंगे संवैधानिक अधिकार

राज्यसभा में हंगामा करते विपक्षी दल।

सदन में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की संवैधानिक स्थिति बरकरार रहेगी। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय किया है। इससे उसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह ही अधिकार मिल जाएंगे।

इसी बीच सपा के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ हंगामा करना शुरू कर दिया। उपसभापति पीजे कुरियन के शांत रहने और अपने आसन पर लौटने के आग्रह को भी नजरअंदाज किया। उप सभापति कुरियन ने कहा कि मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया है इसलिए विरोध का कोई कारण नहीं है। 'आपकी चिंता जायज है जिससे मैं सहमत हूं, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया है।

अमर उजाला

पिछड़ा वर्ग आयोग भंग, नए आयोग में संसद की मंजूरी से ही जुड़ेगी नई जाति

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा संवैधानिक निकाय का दर्जा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

आने वाले दिनों में आरक्षण देने का अधिकार सरकारों के पास नहीं बल्कि संसद के पास होगा। पटेल और जाट समुदाय की ओर से की जा रही आरक्षण की मांग के बीच सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की जगह राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनएसईबीसी) के गठन का फैसला किया है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा।

कैबिनेट ने एनसीबीसी को भंग कर इसकी जगह एनएसईबीसी का गठन करने और इसे एससी-एसटी आयोग की तरह संवैधानिक निकाय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए संसद के इसी सत्र में अगले हफ्ते तक संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए प्रावधान के तहत अब पिछड़ी जाति की सूची में किसी जाति को शामिल करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट द्वारा मंजूर एनएसईबीसी 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की अगुवाई में काम करेगा। बीते बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनसीबीसी की जगह संवैधानिक दर्जा प्राप्त एनएसईबीसी के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को भी निरस्त कर दिया है। >> शेष पेज 13

जाट और पटेल समुदाय को साधने की सरकार की रणनीति

फैसले को आरक्षण के लिए आंदोलनरत जाट व पटेल समुदाय को साधने की रणनीति से जोड़ कर देखा जा रहा है। हरियाणा में जाट तो गुजरात में पटेल समुदाय आरक्षण के लिए लंबे समय से आंदोलनरत हैं। यूपी चुनाव में जाटों को साधने में भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं, गुजरात में प्रभावी भूमिका निभाने वाले पटेल समुदाय को साधना अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि सरकार इन्हें साधने के लिए त्वरित कदम उठाएगी।

सरकारें नहीं, अब संसद तय करेगी आरक्षण का पैमाना, संविधान में होगा संशोधन

नए आयोग के लिए करना होगा संविधान संशोधन

एनसीबीसी की जगह एनएसईबीसी के गठन के लिए सरकार को संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनानी होगी। सरकार ने इसी सत्र में अगले हफ्ते संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर ली है। प्रस्ताव पारित होने के बाद एनएसईबीसी को भी एससी-एसटी आयोग की तरह किसी को तलब करने का अधिकार होगा। इससे पहले एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एससी-एसटी आयोग ही पिछड़ी जाति से जुड़े मामलों की सुनवाई करता था।

निर्णय का स्वागत

निर्णय का स्वागत है। हम अरसे से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे। जाट आरक्षण व सरकार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त एनएसईबीसी के गठन की बात है तो देखना होगा कि इससे जुड़े बिल में पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए किस तरह का प्रावधान किया गया है। -यशपाल मलिक, अध्यक्ष, जाट आरक्षण संघर्ष समिति

चूंकि अभी पेश होने वाले संविधान संशोधन के प्रस्ताव में प्रावधानों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसलिए सारी बातें सामने आए बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार के इस निर्णय से राज्यों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। -सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ

The Tribune

National BC panel out, new panel for OBCs

NEW DELHI, MARCH 23

The Union Cabinet has given the go-ahead for setting up a National Commission for Socially and Educationally Backward Classes with constitutional status, bowing to the demand from OBCs for an entity for them which is on par with the panels for SCs and STs.

The Cabinet also cleared a proposal for dissolving the National Commission for Backward Classes (NCBC) and repealing the law under which it was established.

The NCBC was a statutory body under the Ministry of Social Justice and Empowerment established on August 14, 1993.

Its duties included receiving representations from the persons belonging to backward classes on various issues like discrimination faced by them, non-implementation of reservation rules by authorities, etc.

It was, however, not empowered to look into the grievances of people of Other Backward Classes. The Bill to provide constitutional status to the body will be introduced in Parliament.

The Cabinet's decision followed demands for constitutional status for NCBC in order to allow it to hear the grievances of OBCs in the manner in which the National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes do. The latter two are constitutional bodies. — PTI

वाराणसी। मंगलवार ● 25 अक्टूबर ● 2016
राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com |

बहरीन एक छोटा दे
कि भारत का बहरी

स्वस्थ समाज का निर्माण करती हैं पुस्तकें

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
वाराणसी।

नदेसर स्थित यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ प्रांतीय कार्यालय में संगठन के पुस्तकालय का उद्घाटन यूनियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक लाल सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तकें स्वस्थ्य समाज का निर्माण करती है। निश्चित रूप से इस पुस्तकालय से सभी सदस्य लाभान्वित होंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन समय-समय पर नवीनतम समसामयिक पुस्तकों से पुस्तकाल को समृद्ध करते रहेंगे। इस अवसर पर

नदेसर स्थित कर्मचारी कल्याण संघ प्रांतीय कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन

महामंत्री डा. अमृतांशु ने कहा कि पुस्तकालय स्थापना का उद्देश्य सदस्यों के बीच ज्ञान को बढ़ाना है। पुस्तकालय में भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जारी सरकारी दिशा-निर्देशों की प्रतियां, सामाजिक न्याय पर केन्द्रीत पुस्तकें, समाज उत्थान एवं डा. भीम राव अम्बेडकर की जीवनी एवं संघर्ष से जुड़े साहित्य पर आधारित पुस्तकों सहित सामान्य पुस्तकें सदस्यों के पढ़ने के लिए रखी गयी है। कार्यालय प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक खोला जाएगा। इस अवसर पर यूनियन बैंक के क्षेत्र प्रमुख योगेन्द्र सिंह, कपूर सिंह यादव, गौतम पाठक, मो. जलालुद्दीन, बृजलाल, अरुण कृष्ण, सुनील यादव, संजीव कुमार, हरीश बछानी, शंकर सामंत, पंकज सेठ आदि मौजूद थे।

the pioneer
WEDNESDAY | OCTOBER 26, 2016

Library inaugurated

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

Union Bank Backward Classes (OBC) Employees Welfare Association, UP has set up library at its state office in PCF Plaza, Nadesar here which was formally inaugurated by General Manager of the bank of Varanasi Region Lal Singh. Inaugurating the library Singh said that books builds healthy society and hoped that the members would take benefit of it. The general secretary of association Dr Amritanshu said that the objective behind to open the library was to enhance knowledge among members and apprised that the books based on life of great personalities are available in library so as the members could take inspiration from them. The library will remain open between 7 and 8 pm daily. On the occasion many were present including regional head of bank Yogendra Singh, DGM Kapur Singh Yadav, sub zonal head Gautam Pathak and secretary of association Mo Jalaluddin.

KILLED: An old aged woman was lynched to death at her house in Jegular Koilabazar, under the Adampur police station on Tuesday. The police sent body for postmortem. The property dispute was said to be cause of the incident.

PARLIAMENT MATTER
MOST IMMEDIATE

No.41034/5/2014-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment(Res.II) Section

North Block, New Delhi-110001
Dated the 20th October, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Data on the representation of Other Backward Classes in Central Government Services - Meeting taken by the Parliamentary Committee of Welfare of Other Backward Classes held on 14.10.2015.

The undersigned is directed to say that an online portal **rrcps.nic.in** already exists for uploading information on the representation of SCs, STs, OBCs and Persons with Disabilities. This information is obtained on annual basis as of 1st January of each year.

2. During the Sitting of the Parliamentary Committee of Welfare of Other Backward Classes held on 14.10.2015, Member Secretary of the National Commission for Backward Classes had pointed out to the Hon'ble Committee that in connection with formulation of a report on creamy layer, NCBC had requested all Departments/Ministries through Department of Personnel & Training to provide the information in a format prescribed by them, but the same was still awaited.

3. The Hon'ble Chairman and other Hon'ble Members of the Committee expressed dissatisfaction over low representation of OBCs in Central Government services and directed DoP&T to collect data sought by NCBC and submit to the Committee urgently.

4. **It is, therefore, requested that the data, in the enclosed format, relating to appointment of OBCs in the Ministries/ Departments be provided by 30.10.2015 (by mail and also by letter/fax) . The data should also be provided in respect of the attached and subordinate offices under their administrative control, in the enclosed format.**

5. The Hon'ble Committee has indicated that delay in submission of the information would be taken seriously by them.

..2/-

6. In view of the directions of the Parliamentary Committee, the requisite information may be sent in this regard by 30.10.2015. If there are any genuine difficulties in providing the data within the prescribed time limit, the specific reasons for the delay and the likely date by which the same will be made available be informed to this Department.

7. **This may please be treated as urgent.**

(G.Srinivasan)
DeputySecretary to the Government of India
Tele/Fax: 23093074.
Email: g.sreenivasan@nic.in

To

1. The Secretaries of all Ministries/Departments, as per standard list
2. Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat
3. Member Secretary, NCBC, R.K.Puram, New Delhi, for information.

Copy also to Director, NIC for uploading the same on DoPT website

STATUS OF RECRUITMENT OF OBC CANDIDATES IN CENTRAL GOVERNMENT SERVICES IN MINISTRIES/DEPARTMENTS AND ITS ATTACHED AND SUBORDINATE OFFICES.

years	Groups	No. of posts reserved for OBC candidates	No. of posts filled in by OBC candidates	No. of posts carried forward
As on 1.01.2011	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2012	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2013	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2014	Group 'A			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2015	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			

भारत सरकार के दिशा निर्देश

Most immediate

F. No.20/35/2015-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
* * * *

Jeevandeep Building, Parliament Street,
New Delhi, dated the 24th June, 2015

To

1. The Chairman & Managing Directors/MDs of All Public Sector Banks, MDS of SBI and it's Associate Banks / Public Financial Institutions and Public Sector General Insurance Companies.
2. The Chief General Manager (HRDD) RBI, Mumbai.
3. The Chairman, IBA/ IBPS.
4. Chairman PFRDA/IRDA.

Subject: - Clarification sought by Banks in respect of OBC Candidates belonging to JAT community after Supreme Court's Judgments dated 17.03.2015.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Office Memorandum No. 36028/2/2012-Estt.(Res.) dated 17.06.2015 from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training (DoPT), New Delhi, inter-alia addressed to the Department of Financial Services, on the subject mentioned above for information with the directions to ensure strict compliance to the instructions as contained in the enclosed O.M. in your respective organizations with the immediate effect.

2. Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Krishan Kumar)
Under Secretary of the Government of India
Tel. No. 23748736

Encl: As above.

Copy for information to:

1. JS (BA and P&I), JS (FI), JS (IF), Department of Financial Services.
2. CEO, Indian Bankers' Association, Mumbai
3. CEO, GIPSA, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi.
4. NIC Cell for placing on website of DFS.

No.36028/ 2 /2012-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 17th June, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Clarification sought by Banks in respect of OBC candidates belonging to JAT community after Supreme Court's judgment dated 17.3.2015.

The undersigned is directed to refer to D/o Financial Services' O.M No. 20/35/2015-Welfare, dated 11.6.2015 on the subject cited above and to say that the notification dated 4.3.2014 providing reservation for 'Jat' as OBCs in respect of nine States was issued by the M/o Social Justice & Empowerment which was quashed by the Hon'ble Supreme Court.

2. This issue had been examined in DoPT in the context of reservation for 'Jat' community in the Civil Services Examination conducted by UPSC. D/o Legal Affairs, when consulted opined that " *the law is well settled that once the provisions of law have been declared unconstitutional and ultra vires, its effect would be as if the said provisions were never on the statute book. The declarations of provisions as ultra vires do not take effect from the date it is declared so but from the day of its inception. If the provision is unconstitutional and ultra vires and has been declared to be so by the Court, it was unconstitutional from the day it was enacted (Air 1994 Bom 261). This principle applies with equal force to the orders issued by the Govt. Since the Court has not saved the actions already taken, these actions will not survive because the order issued by the Govt. has been aside and quashed*".

3. Based on Department of Legal Affairs' opinion, UPSC was requested to take further necessary action.

4. This issues with the approval of JS (AT&A).

R Saraswat
(Raju Saraswat)
Under Secretary (Res-I)
Tel: 23092110

Department of Financial Services
[Kind Attn: Shri Gulab Singh, Dy. Secretary (Welfare)]
3rd Floor Jeevan Deep Building, 10 Parliament Street
New Delhi.

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 2017: CONSTITUTIONAL POWERS TO NCBC

Bill 71 of 2017	Modi
338B, Clause 3: After article 338A of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:— "338B. (1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes. (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a **Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members** and the conditions of service and tenure of of ce of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine. (3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.	**338B, Clause 3, sub-clause 2 shall be modi** as follows: Subject to the provisons of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a **Chairperson, retired Judge of Supreme Court or High Court, a Vice-Chiarperson, Three Members out of which One Member is a Social Scientist and other two members with knowledge of the subject.** **Explanation:** **Supreme Court Judgement in Indra Sawhney Cas**e forms the basis for constituting the National Commission for Backward Classes. The Judgement directs that there ought to be a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal to which complaints of wrong inclusion or non inclusion of groups, classes and sections in the lists of Other Backward Classes can be made..... The body must be composed of experts in the both of cial and non-of cial and must be vested with the necessary powers to make a proper and effective inquiry. In the light of this NCBC act provided that the chairman should be a former judge so that the commission can adhere to a judicial approach; and member secretary should be a former secretary level of of the government of India, one member should be a social scientist, And two persons with special knowledge of the socially backward classes. This feature of expert body, as directed by the Supreme Court, is not provided for in the composition of the NCBC Bill. The composition should re this feature of an expert body as mandated by the SC and also developmental process expertise required by the developmental role.
338B, Clause3. Sub-clause(5): It shall be the duty of the Commission—Sub-Clause: **(c) to advise on the socio-economic development** of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;	**338B, Clause(5) shall be modi as follows:** It shall be the duty of the Commission— Sub-Clause: **(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development** of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State; **(Similar to provision in Article 338 (NCSC) & 338-A (NCST) relating to SC and ST commissions)** sub clause (5) ©. That clause reads in both the cases of SC and ST as "to participate and advise on the planning process of socio – economic development of the Scheduled Castes".[Scheduled Tribes].